न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रघुनाथगढ)
अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

/16	<u>तारीख रजू</u> 13.07.2016	तारीख निर्णय 18.05.2018

उनवान

1. सिब्बन पुत्र स्व0 पप्पल
2. सिबनी पुत्री स्व0 पप्पल
3. मु0 कैलाश पत्नी स्व0 मंगल पुत्रवधु स्व0 पप्पल
4. किस्तूरी पुत्री स्व0 मंगल पौत्री स्व0 पप्पल
5. सुशीला पुत्री स्व0 मंगल पौत्री स्व0 पप्पल
6. रूकमणी पुत्री स्व0 मंगल पौत्री स्व0 पप्पल
7. सुनीता पुत्री स्व0 मंगल पौत्री स्व0 पप्पल
8. हुकमचन्द पुत्र स्व0 मंगल पौत्र स्व0 पप्पल
9. बिज़न पुत्र स्व0 मंगल पौत्र स्व0 पप्पल
10. राजेन्द्र पुत्र स्व0 मंगल पौत्र स्व0 पप्पल
11. रोहिताश स्व0 मंगल पौत्र स्व0 पप्पल
12. संजय स्व0 मंगल पौत्र स्व0 पप्पल नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता मु0 कैलाश
13. रामभुतेरी पत्नी स्व0 छुटटन पुत्रवधु स्व0 पप्पल
14. फूलचन्द पुत्र स्व0 छुटटन पौत्र स्व0 पप्पल
15. सीता पुत्री स्व0 छुटटन पौत्री स्व0 पप्पल
16. सुनीता पुत्री स्व0 छुटटन पौत्री स्व0 पप्पल
17. टीटू पुत्र स्व0 छुटटन पौत्र स्व0 पप्पल
18. शेरसिंह पुत्र स्व0 छुटटन पौत्र स्व0 पप्पल
19. हरीश पुत्र स्व0 छुटटन पौत्र स्व0 पप्पल जातियान चमार निवासियान ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादीगण

बनाम

1. लीला पुत्र गंगाराम जाति चमार निवासी ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

......................असल प्रतिवादी

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ जिला अलवर।

.... तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

<u>निर्णय</u>

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.27 व 1650 रकबा 0.27 हैक्ट0 वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी के बन्दोबस्त सम्वत 2058 के

उपखण्ड ... रामगढ़ (अलवर)

[illegible] खसरा नम्बर 1101 मिन रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा एवं बन्दोबस्त सम्वत 2020 के [illegible] नम्बर 850 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा थे। विवादित आराजी पूर्व में पप्पल पुत्र बसन्ता [illegible] ग्राम रघुनाथगढ की कब्जे काश्त गैरखातेदारी की थी जिसका नाम साबिक रिकार्ड [illegible] गिरदावरी सम्वत 2014 में दर्ज है। जिसमें पप्पल के अलावा किसी अन्य का [illegible] नही है। किन्तु बन्दोबस्त सम्वत 2020 में प्रतिवादी सं0 1 लीला, जिसे आगे प्रतिवादी [illegible] ने बन्दोबस्त कर्मचारियों से मिलकर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून पप्पल के [illegible] नाम भी दर्ज करवा लिया। जबकि प्रतिवादी का विवादित आराजी से कोई लेना देना [illegible] का नही है न कभी रहा है और न ही प्रतिवादी का कभी आराजी मुतनाजा पर कोई [illegible] रहा है। इसलिए वादी प्रतिवादी का नाम कागजातमाल से कलमजन करवाने के [illegible] अधिकारी है। वादीगण के पिता व बुर्जुग पप्पल विवादित आराजी पर अपने जीवनकाल [illegible] रहकर काश्त करते रहे तथा उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण बतौर वारिस काबिज [illegible] विवादित आराजी पर मुश्तर्का में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। पप्पल के [illegible] के बाद विवादित आराजी में वादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा, वादी सं0 2 का 1/4 हिस्सा वादी सं0 3 ला0 12 का 1/4 हिस्सा एवं वादी सं0 13 ला0 19 का 1/4 हिस्सा है तथा वादीगण विवादित आराजी के गैरखातेदार काबिज काश्तकार है जिस आशय की घोषणा करवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.27 व 1650 रकबा 0.27 हैक्ट0 वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी सं0 1 को 1/4 हिस्सा, वादी सं0 2 को 1/4 हिस्सा वादी सं0 3 ला0 12 को 1/4 हिस्सा एवं वादी सं0 13 ला0 19 को 1/4 हिस्से का गैरखातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जावे। और राजस्व अभिलेख बन्दोबस्त सम्वत 2020 से ताहाल में प्रतिवादी सं0 1 का नाम जहां–जहां भी दर्ज है उस इन्द्राज को कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को गैरखातेदार दर्ज कराया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नही। प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

कार्यवाही की गई। तथा प्रतिवादी सं0 2 पैरोकार सरकार ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है। कि विवादित आराजी बन्दोबस्त सम्वत 2020 से पूर्व सम्वत 2014 में वादीगण के पूर्वज पप्पल के नाम बकाश्त होकर पटटेदार दर्ज थी लेकिन बन्दोबस्त सम्वत 2020 में पप्पल के साथ–साथ प्रतिवादी सं0 1 लीला का नाम भी बगैर आधार के दर्ज होना पाया जाता है। वादीगण पप्पल के उत्तराधिकारी है। मुताबिक रिकार्ड सम्वत 2014 व 2015 के विवादित आराजी पर अकेला पप्पल काश्तकार था बन्दोबस्त सम्वत 2020 में पप्पल के साथ प्रतिवादी सं0 1 लीला का नाम जोडा गया है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रघुनाथगढ में दिनांक 18.05.2018 को पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब के अवलोकन से वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.27 व 1650 रकबा 0.27 हैक्ट0 वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी सं0 1 को 1/4 हिस्सा, वादी सं0 2 को 1/4 हिस्सा, वादी सं0 3 ला0 12 को 1/4 हिस्सा एवं वादी सं0 13 ला0 19 को 1/4 हिस्से का गैरखातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख ताहाल में प्रतिवादी सं0 1 का नाम जहां–जहां भी दर्ज है उस इन्द्राज को कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को गैरखातेदार दर्ज करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत रघुनाथगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
पीठासीन अधिकारी लोक़ अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रघुनाथगढ)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/126 /16	13.07.2016	18.05.2018

उनवान

1. सिब्बन पुत्र स्व0 पप्पल
2. सिबनी पुत्री स्व0 पप्पल
3. मु0 कैलाश पत्नी स्व0 मंगल पुत्रवधु स्व0 पप्पल
4. किस्तूरी पुत्री स्व0 मंगल पौत्री स्व0 पप्पल
5. सुशीला पुत्री स्व0 मंगल पौत्री स्व0 पप्पल
6. रूकमणी पुत्री स्व0 मंगल पौत्री स्व0 पप्पल
7. सुनीता पुत्री स्व0 मंगल पौत्री स्व0 पप्पल
8. हुकमचन्द पुत्र स्व0 मंगल पौत्र स्व0 पप्पल
9. बिजन पुत्र स्व0 मंगल पौत्र स्व0 पप्पल
10. राजेन्द्र पुत्र स्व0 मंगल पौत्र स्व0 पप्पल
11. रोहिताश स्व0 मंगल पौत्र स्व0 पप्पल
12. संजय स्व0 मंगल पौत्र स्व0 पप्पल नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता मु0 कैलाश
13. रामभुतेरी पत्नी स्व0 छुटटन पुत्रवधु स्व0 पप्पल
14. फूलचन्द पुत्र स्व0 छुटटन पौत्र स्व0 पप्पल
15. सीता पुत्री स्व0 छुटटन पौत्री स्व0 पप्पल
16. सुनीता पुत्री स्व0 छुटटन पौत्री स्व0 पप्पल
17. टीटू पुत्र स्व0 छुटटन पौत्र स्व0 पप्पल
18. शेरसिंह पुत्र स्व0 छुटटन पौत्र स्व0 पप्पल
19. हरीश पुत्र स्व0 छुटटन पौत्र स्व0 पप्पल जातियान चमार निवासियान ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

...................वादीगण

बनाम

1. लीला पुत्र गंगाराम जाति चमार निवासी ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

.......................असल प्रतिवादी

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ जिला अलवर।

.... तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1649

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

रकबा 0.27 व 1650 रकबा 0.27 हैक्ट0 वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी सं0 1 को 1/4 हिस्सा, वादी सं0 2 को 1/4 हिस्सा, वादी सं0 3 ला0 12 को 1/4 हिस्सा एवं वादी सं0 13 ला0 19 को 1/4 हिस्से का गैरखातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख हाल में प्रतिवादी सं0 1 का नाम जहां–जहां भी दर्ज है उस इन्द्राज को कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को गैरखातेदार दर्ज करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उप खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)